महत्वपूर्ण

संख्या-179/2019/2961/26-3-2019

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 26 जुलाई 2019

विषय:-**दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र स्तर से आनलाइन आवेदन पत्र समय से भरने हेतु रेडियों के माध्यम से प्रचार-प्रसार व उस पर व्यय होने वाली धनराशि की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1139/स0क0/शिक्षा-अ/70/2019-20, दिनांक-09.07.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र स्तर से आनलाइन आवेदन पत्र समय से भरने हेतु रेडियों के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु 70 दिनों के प्रसारण क लिये धनराशि रू0-721594/ छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्पयूटरीकरण योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-01-789-13-के मानक मद-42-अन्य व्यय में स्वीकृति रू0-200.00 लाख से व्यय करने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 अनुदान संख्या-83 के विभिन्न वर्गो की छात्रवृत्ति योजनाओं के अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण योजनाओं में प्राविधानित धनराशि रू0-200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) के सापेक्ष शैक्षिक सत्र 2019-20 से दिनांक-01.07.2019 से 10 अक्टूबर 2019 तक छात्रों के स्तर से आनलाइन आवेदन के प्रचार-प्रसार हेतु 10 दिनों के प्रसारण के लिये **रू0-7,21,594/- (रू0 सात लाख इक्कीस हजार पांच सौ चौरानबे मात्र)** व्यय करने की स्वीकृति/अनुमति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

(1)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू वित्तीय योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों और सेवाओं पर व्यय के लिये न किया जाय।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि सत्र 2019-20 में दिंक-01.07.2019 से 10 अक्टूबर 2019 तक छात्रों के स्तर से आनलाइन आवेदन के प्रसार हेतु 70 दिनों के प्रसारण पर होने वाले व्यय पर ही खर्च किया जायेगा।

(3)-उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग करने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.upnic.in

पृ.संख्या-179 /2019/2961 (1)/26-3-2019 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।